बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—: : आदेश : :—

आदेश सं0—27/परि0—06—13/2026—सा0प्र0................पटना—15, दिनांक...................

श्री मनोज कुमार, अपर सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध छद्मनामी परिवाद पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसके साथ शपथ पत्र संलग्न नहीं है। साथ ही परिवाद पत्र में परिवादी का नाम एवं पता भी अंकित नहीं है।

परिवाद पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध कनीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली—गलौज, निलंबन करने, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने एवं नौकरी से हटाने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का शिकायत अंकित किया गया है।

विभागीय परिपत्र संख्या 945 दिनांक 24.06.2005 में स्पष्ट अंकित है कि अनाम, बेनामी, छद्मनामी आवेदन पत्रों/परिवाद पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जायेगी, बल्कि उन्हें संचिकास्त कर दिया जायेगा।

वर्णित तथ्यों के आलोक में प्राप्त परिवाद पत्र की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा किया गया। समीक्षोपरांत विभागीय परिपत्र संख्या—945 दिनांक—24.06.2005 में निहित प्रावधान के आलोक में इस परिवाद प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मनोज कुमार, अपर सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रतिवेदित इस परिवाद प्रकरण को **संचिकास्त** किया जाता है।

ह0/-

(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक—27/परि0—06—13/2026—सा0प्र0 5423 पटना—15, दिनांक 20.3.26

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/श्री मनोज कुमार, अपर सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा—12, 14 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20.03.26

सरकार के अवर सचिव।